27 स्त्रोत पर आयकर कटौती की दरें

Rate of T.D.S

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 190 से 206 में स्त्रोत पर कर कटौती से संबंधित प्रावधान दिए गए है, जिनकी कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार है :–

27.1 किस दर से आयकर की कटौती की जानी है यह मुख्य रूप से निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है –

- ☞ भुगतान किस मद में (Head) में किया जा रहा है ?
- ☞ कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है ?
- ☞ भुगतान किस श्रेणी के करदाता (Deductee) को किया जा रहा है ?

उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी ठेकेदार (जो व्यक्ति श्रेणी का करदाता है) को रू. 50,000 या उससे अधिक का भुगतान काम के एवज में करता है तो उसे टी.डी.एस. 1 प्रतिशत की दर से अर्थात रू. 500 काटना आवश्यक होगा। परन्तु यदि ठेंकेदार कंपनी श्रेणी का करदाता है तो टी.डी.एस. की दर 2 प्रतिशत होगी अर्थात रू. 1000 टी.डी.एस. कटेगा।

27.1 वेतन को छोडकर अन्य प्रकार के भुगतान यदि भारतीय कंपनियो (अनिवासी भारतीय एवं विदेशी कंपनी को छोडकर) को किये जाते है तो TDS की दर में सरचार्ज एवं शिक्षण शेष वित्तीय वर्ष 2009–10 से नहीं लगेगा।

27.2 टी.डी.एस टेबल के अनुसार, पैन नही होने की स्थिति में,1 अप्रेल 2010 से सेक्सन 206 एए के तहत सभी मामलों में 20 प्रतिशत या निर्धारित दर जो ज्यादा हो की दर से स्त्रोत पर कर (TDS) कटौती होगी।

27.3 1 अक्टूबर 2009 से मटैरियल सहित ठेके में अब माल की कीमत पर स्त्रोत पर कर कटौती नही होगी, इस आशय से वर्क को परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा निर्माण कार्य पर लागू नही होगी। माल की कीमत को बिल में अलग से दिखाना अनिवार्य होगा अन्यथा पूरे बिल पर स्त्रोत पर कर कटौती होगी।

27.4 वित्तीय वर्ष 2009–10 से किराए पर स्त्रोत कर कटौती के प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए है। प्लाट मशीनरी उपकरणों के किराए पर जब स्त्रोत पर 10 प्रतिशत के बजाय 2 प्रतिशत की दर से कर कटौती। भवन जमीन फर्नीचर पर अब 10 प्रतिशत की दर से कर कटौती।

27.5 कांट्रेक्टर की स्थिति में भी स्त्रोत पर कर कटौती में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। व्यक्ति एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की स्थिति में भुगतान पर 1 % तथा अन्य स्थिति में 2 % से स्त्रोत पर कर कटौती 1अक्टूबर 2009 से करना होगा। इसमें हर प्रकार के कांट्रेक्ट शामिल होंगे। अब ठेकेदारों एवं उपठेकेदारों में फर्क समाप्त कर दिया गया है। ये प्रावधान तब ही लागू होगें जब भुगतान पाने वाले के पास पैन होगा, पैन न होने की स्थिति में 1 अप्रेल 2010 से सभी मामलों में 20 % की दर से स्त्रोत पर कर कटौती होगी।

27.6 निम्नलिखित तालिका में दी गई टी.डी.एस. की दरें केवल उन करदाताओं के लिए लागू होगी, जिसके पास पैन नं. होगा तथा ये प्रावधान 1 अक्टूबर 2009 से लागू होंगे। पैन नही होने की स्थिति में 1 अप्रेल 2010 से सभी मामलों में 20 प्रतिशत या निर्धारित दर, जो अधिक हो, की दर से स्त्रोत कर कटौती होगी।

27.7 व्यक्ति प्रोप्राईटरी फर्म (जिनके खातों को आडिट करवाने की अनिवार्यता न हो) व हिन्दु अविभक्त परिवार को कुछ प्रकरणों में टी.डी.एस. कटौती से छूट दी गई है।

27.8 बैंक के किसी भी ब्रॉच से फिक्स डिपाजिट/आवर्ती खाता पर देय ब्याज की राशि को जोडा जायेगा और यदि योगफल रू. 10,000 से अधिक होगा तो TDS कटेगा

बजट 2010 मे टी डी एस कटौती हेतु वार्षिक भुगतान की न्यूनतम सीमा (Threshold limit of Annual payment for TDS) मे निम्न टेबल के अनुसार से बदलाव किया गया है –

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये लागू T.D.S. की दरें

क्रं S. N.	आयकर अधि नियम की धारा	भुगतान का (Head) मद क्या है Type of Payment	T.D.S. कटौती हेतु वार्षिक भुगतान की न्यूनतम सीमा (रूपयो में) (Thersold limit of Annual payment for TDS	T.D.S. की दरें
1	194A	बैंकिंग कंपनी से प्राप्त ब्याज Interest from Banking Co. /Coopertive	10000	10%
	194A	बैंकिंग कंपनी के अलावा अन्य कंपनी से प्राप्त ब्याज Interest other than from Banking Co.	5000	10%
2	194B	लॉटरी से प्राप्त राशि Winning from Lottery	10000	30%
3	194BB	घुड़दौड से प्राप्त राशि Winning from Horse Race	10000	30%
4	194C	ठेकेदार को भुगतान की गई राशि Payment to Contractors	एकमुश्त रू. 30000 या वर्ष के दौरान 1,00,000 से अधिक 30000	1% व्यक्ति HUF BOI AOP के लिए 2% अन्य के लिए
	194C	ट्रांसपोर्ट व्यावसाय के ठेकेदार/* उपठेकेदार Transport Business Contractors Sub contractors		0% *
5	194D	बीमा कमीशन (बीमा एजेंट को प्राप्त होने वाला)	15000	10%
6	194H	कमीशन ब्रोकेरेज	15000	5%
7	194I	प्लांट एवं मशीन हेतु किरा	180000	2%
8	194I	प्लांट एवं मशीन के अलावा जैसे भूमि व बिल्डिंग तथा अन्य का किराया	180000	10%
9	194J	पेशेवर तकनीकी व्यक्ति की फीस	30000	10%
10	204CE	TCS : Scrap टीसीएस : स्क्रेप		1%
11	206C	टीसीएस : आदमी के उपयोग हेतु एल्कोहल युक्त पेय		1%
12	206 C	मिनरल कोल एवं लौह अयस्क	1% दि. 01.07.2012 से लागू	1%
13	206 C	यदि भुगतान नगद में प्राप्त हो तो 1. बुलियन 10 ग्राम से कम को छोड़कर 2. जेवरात 3. अन्य सामान/सेवाएं	 2 लाख से अधिक 5 लाख से अधिक 2 लाख से अधिक	

* ठेकेदार को PAN नंबर देना अनिवार्य है।

* ये दरें अनिवासी भारतीय एवं विदेशी कंपनियों को छोड़कर अन्य के लिए लागू है। अनिवासी भारतीय एवं विदेशी कंपनियों को किए जाने वाले भुगतान पर लागू टी.डी.एस. में 3% प्रतिशत शिक्षण सेस भी लिया जाना आवश्यक है।